

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

Z 596446

// किराया इकरारनामा //

देवी चंद सिंह  
प्रथम पक्षकार/  
मकान मालिक

श्री देवी चंद सिंह  
पिता- एस. सिंह  
निवासी- ग्राम धनेली, पो0 गिरौद,  
धरसीवां, तहसील व जिला रायपुर (छ0ग0)

परस राम वर्मा  
द्वितीय पक्षकार/  
किरायेदार

परस राम वर्मा  
पिता- स्व. जगत राम वर्मा  
निवासी- कौशिक फाइट कैरियर के पास,  
रावांभाठा, रायपुर (छ0ग0)  
वर्तमान पता- खेमका, सड्डू, रायपुर  
तहसील व जिला रायपुर (छ0ग0)  
आधार नंबर- 3078-3563-0494



यह किराया इकरारनामा उभयपक्षकारों के मध्य आज दिनांक को निम्नांकित शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है कि :-

13.1 MAY 2022

## किरायेशुदा संपत्ति का विवरण :-

प्रथम पक्षकार के हक, कब्जे, स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक मकान जो कि खेमका, सड़क, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छोगा) में स्थित है को द्वितीयपक्षकार ने किराये पर लेने का प्रस्ताव रखा जिसे प्रथमपक्षकार सहर्ष स्वीकार कर यह किरायेदारी इकरारनामा आपसी सहमति से उभयपक्षों के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि उपरोक्त वर्णित मकान का मासिक किराया राशि 3000/- रुपये अक्षरी तीन हजार रुपये प्रतिमाह उभय पक्षकारों की आपसी सहमति से तय किया है। उपरोक्त किराया राशि का भुगतान द्वितीयपक्षकार के द्वारा प्रथमपक्षकार को प्रत्येक माह के 01 से 10 तारीख के मध्य निश्चित रूप से देय होगा।
  2. यह कि किरायेशुदा मकान का किराया अवधि दिनांक 01/04/2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 28/02/2023 को समाप्त होगी इस प्रकार किराया अवधि 11 माह के लिए होगी।
  3. यह कि द्वितीय पक्षकार उक्त किरायेशुदा मकान का उपयोग अपने आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग करेगा।
  4. यह कि किरायेशुदा मकान में एक विद्युत मीटर लगा हुआ है जिसके मासिक देयकों का भुगतान प्रतिमाह द्वितीयपक्षकार द्वारा मासिक किराया राशि से पृथक से स्वयं अदा किया जावेगा।
  5. यह कि द्वितीय पक्षकार उक्त मकान में किसी प्रकार की कोई अवैधानिक गतिविधि संचालित नहीं करेगा तथा न ही विधि विरुद्ध या निषिद्ध सामान का संग्रहण भण्डारण या वितरण नहीं करेगा।
  6. यह कि किरायेशुदा मकान में द्वितीयपक्षकार तोड़फोड़, परिवर्तन या परिवर्धन आदि नहीं करेगा। यदि किराया अवधि के समय उक्त भाग पर टूट-फूट होता है तो उसकी मरम्मत की जवाबदारी द्वितीयपक्षकार की होगी।
  7. यह कि किरायेशुदा मकान को द्वितीयपक्ष किसी अन्य को उप किराया या भाड़ा पर नहीं देगा या भाड़ा पर नहीं रखेगा।
  8. यह कि इस किराया अवधि के दौरान उभयपक्षकार में कोई भी पक्षकार किरायेशुदा मकान को रिक्त कराना/करना चाहे तो उभयपक्षकार एक-दूसरे को एक माह पूर्व लिखित सूचना देकर किरायेशुदा मकान रिक्त करा/ कर सकेंगे। तथा उभयपक्ष आपस में सहमत होंगे तो उपरोक्त किरायेदारी इकरारनामा किराया राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पुनः 11 माह के लिए बढ़ाई जावेगी।
- यह कि प्रथमपक्ष के पास द्वितीयपक्ष ने बतौर सुरक्षा निधि की राशि के रूप में 3000/- अक्षरी तीन हजार रुपये जमा किया गया है जिसमें से सुरक्षा निधि की राशि मकान खाली करते समय द्वितीयपक्षकार के द्वारा किरायेशुदा मकान में तोड़फोड़ या क्षति कारित की गयी होगी अथवा बकाया मासिक किराया राशि व बिजली बिल हो तो उसकी राशि जमा सुरक्षा निधि की राशि से काटकर शेष राशि बिना ब्याज के वापस की जावेगी।
- यह कि किराया इकरारनामा द्वितीयपक्षकार हेतु किसी भी बैंक, संस्थान अथवा किसी भी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों हेतु एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होगा।

अतः उपरोक्त किराया इकरारनामा के साक्ष्य स्वरूप उभय पक्षकारों को यह किरायानामा पढ़कर, सुनकर, समझकर सही होना स्वीकार कर गवाहों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर कर यह किरायानामा निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

रायपुर (छोगा)

दिनांक :

31 MAY 2022

गवाह :-

देवी चंद्र सिंह

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

पुनः शंभु प्रसाद

IDENTIFYING WITNESSES